mme. Besides, the Central Budget includes a provision of Rs.1.50 crores for the Loktak Hydro Electric project which is being taken up in the Central sector. Thank you.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने ग्रभी कहा है कि वह मणिपुर के बारे में ग्रान्तरिक मांगें पेश करना चाहते हैं। मेरी राय में मणिपुर के बारे में बजट पेश करने का उनको न कोई नैतिक अधिकार है ग्रौर न कानूनी या संविधानिक ग्रधिकार है। मणिपुर में इन की सरकार के पतन के बाद गैर-कांग्रेसी लोगों का विधान सभा में बहुमत हो गया था और वह बहुमत....

SHRI P.C. SETHI : May I just clarify the position ? When I started, I went through item No. 5, but later on, I corrected myself and said 'statement of estimated receipts and expenditure of the Union terri'ory of Manipur'.

श्री मधु लिमये : सवाल यह है कि मणिपुर विधान सभा के ग्रधिकारों को ले लिया गया, उस विधान सभा को समाप्त कर दिया गया ग्रौर वहां राष्ट्रपति और केन्द्रीय सरकार का शासन प्रस्थापित कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने ग्राधार दिया प्रेसीडेंशियल ग्रार्डर ग्रभी जिसका उन्होंने जिक्र किया...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has only presented the budget. This will be discussed later, and he can say all these things at the time of the discussion.

श्री मधु लिमये : मैं उसी का विरोध कर रहा हूं। मैंने यह कहा कि इनको यह पेश करने का न नैतिक अधिकार है न कानूनी और संविधानिक ग्रधिकार है, इसलिए इसका विरोध मैं कर रहा हूं और उसके कारण मैं बता रहा हूं...

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is true, but he has already presented the budget. So, that question does not arise now.

RE: PROOGATION OF JAMMU AND KASHMIR LEGISLATURE

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : नहीं, नहीं, ग्रभी सफाई दी उन्होंने। उनके बयान से यह चीज निकल रही हैं। अभी जो उन्होंने बयान दिया ग्राप की इजाजत से, उसी से यह मुद्दा निकल रहा है। मेरा कहना यह है कि जहां मणिपुर में विरोधियों की सरकार बन सकती थी, उनका बहुमत था. वहां तो यह राष्ट्रपति शासन जारी कर रहे हैं और ग्रभी-ग्रभी काश्मीर में जिसके बारे में हम लोगों ने काम रोको प्रस्ताव दिया था...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Kashmir is a separate issue.

श्री मधु लिमये : नहीं काश्मीर सेपरेट नहीं है। मैं संविधान की धारा 355 ग्रौर 356 के तहत यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। 355 धारा कहती है :

"It shall be the duty of the Union to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

यह लिखा हुग्रा है। ग्रब काश्मीर में अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ ? काश्मीर में विधान सभा का सत्र चल रहा था... (**व्यवधान**) दोनों मिले-जुले हैं न...

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member is a tried Member of Parliament, and he knows these things better than any of us. These are two separate issues. We are now with Manipur. How does Kashmir come in ?

श्री मधु लिमये : मैं कनेक्ट कर रहा हूं नं. 355 और 356 के साथ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : But that can be done only when a regular motion is there before the House....

श्री मधु लिमये : वह तो है, मोशन भी दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : But it has to be accepted first.

श्री मधु लिमये : अब मैं व्यवस्था का प्रश्न जल्दी खत्म करूंगा...।

MR. DEPUTY-SPEAKER : But it must be accepted by the Speaker or before it is discussed. These are two separate issues.

श्री मधु लिमये : मैंने केवल इसलिये आप का ध्यान दिलाया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन प्रस्थापित हुआ, काश्मीर में यह क्यों नहीं कर रहे हैं जब कि विधान सभा में सादिक सरकार का बहुमत समाप्त हो चुका है ? यहां पर 32 विधायक काश्मीर के पहुंच गए हैं और और लोग आने वाले हैं । दस और आने वाले हैं । यह बात बिलकुल साफ है कि सादिक साहब का बहुमत नहीं है । लेकिन जब इनका बहुमत समाप्त हुआ तो इन्होंने विधान सभा का सत्रावसान कराया और कारण क्या बताया इन्होंने कारण यह दिया कि, प्रेसनोट में यह कहते हैं चूंकि अनाज के राशन के बारे में आन्दोलन चल रहा था... (व्यवधान)...मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं...

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member has started a regular discussion on Kashmir without permission from the Chair. Let him be brief. Let him not talk about Kashmir now.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The main point is on Kashmir. We want to say something on it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The two are separate thinge. One is in the extreme east and the other is almost on the extreme west.

श्री मधु लिमये : उसी में से यह निकल रहा है । मेरी आप से यह प्रार्थना है कि आप यह निर्णय कीजिये कि मणिपुर में बहुमत होते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया तो जब बहुमत खत्म हो गया काश्मीर में, यह मैं कनेक्ट कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, काश्मीर में बहुमत समाप्त हो गया...

MR. DEPUTY-SPEAKER : What is the ruling which the hon. Member wants?

श्री मधु लिमये : मैं यह चाहता हूं कि या तो आप ने जो इन को यह बयान देने की इजाजत दी, यह बयान वगैरह सब एक्सपंज कराइए या जो कामरोको प्रस्ताव या 184 के तहत हमारा प्रस्ताव है कि काश्मीर की स्थिति के बारे में हम चिन्ता व्यक्त करते हैं या यह सदन काम स्थगित करता है, इनको आप मंजूर कीजिए क्योंकि आन्दोलन के नाम पर उन्होंने विधान सभा का सत्रावसान किया जब कि उन्हीं के शब्दों के द्वारा यह बात साफ होती है कि वह संविधान के अनुसार सरकार नहीं चला पा रहे हैं। संविधान के अनुसार सरकार चलाने का मतलब विधान सभा को चलाना, बजट को पास कराना, यह होता है, लेकिन वह स्वयं कहते हैं कि विधान सभा का सत्र चल नहीं सकता इसलिए कि आन्दोलन चल रहा है, कानून टूट गया है, शान्ति खत्म हो गई है, तो ऐसी स्थिति में एक मिनट भी सादिक सरकार को चलने नहीं देना चाहिए। सरकार को सादिक सरकार को खत्म कर देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए और दूसरे अगर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं तो वहां राष्ट्रपति शासन हो और काश्मीर का बजट भी यहां उपस्थित हो ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall give my ruling.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : This is a very important issue. Kindly permit us also to have our say.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall call him later. Shri Madhu Limaye has asked for a ruling, and I am giving it. First, he wants that the budget proposals for Manipur presented by the Minister should be expunged. Expunctions come under rule 380. That rule is not attracted here; therefore that question does not arise.

Then, about the adjournment motion, I think Mr. Limaye knows the procedure;

he has to give notice and that is to be considered by the Speaker.

श्री मधु लिमये : तीन नोटिस दिए हैं; कालिंग अटेंशन, 184 और ऐडजर्नमेंट मोशन।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have been told by the Office that the Speaker has disallowed the adjournment motion on Kashmir.... (*Interruptions*)

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : Today morning I wanted to have my say but I was not allowed. On Friday I raised the point of order and requested the Chair's ruling about the seat of the Deputy-Speaker....(*Interruptions*) and the Leader of the Opposition Dr. Ram Subhag Singh. The Speaker did not give a ruling he said something and said that he was ready to allot seats. Even after the Speaker's contention that he had given this seat to the Deputy-Speaker, that went on. My point has not been answered : in your absence can anybody occupy that seat ? If the hon. Leader of the Opposition wanted to raise that matter, he should have contacted the Speaker in his Chamber and should not have said that this was not the seat of the Deputy-Speaker; he should not have hurled comments that were not in keeping with the prestige of the Chair. Therefore. I request your ruling on the point whether in your absence anybody can occupy that seat and create annoyance to you. It is the convention of our House; ever since I came here to Parliament I have been seeing the Deputy-Speaker occuping the very seat that you are occupying. Therefore, I request you to give this ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In this connection, I should only like to draw his attention to rule 4 which says : the Members shall sit in the order as the Speaker may determine. Since the matter concerns me personally, it is rather dilicate for me to give any ruling on this; I shall refer this matter to the Speaker. I request Mr. Sonavane to take it up with him in his Chamber; it is not desirable to quarrel over the seat of the Deputy-Speaker or any other Member in the House.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष जी, जो अभी मधु लिमये जी ने काश्मीर की बात कही...(व्यवधान)...अध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और मुझे दो मिनट कहने दीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have said that in order to discuss Kashmir a regular motion has to be given. I understand the feelings of the Members about this and so I shall regulate it and given everybody only two minutes; kindly co-operate.

श्री कंवर लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और शायद पालियामेण्ट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में जिस तरह से काश्मीर में हुआ कि कोई एजीटेशन बाहर चल रहा है शहर में उसकी आड़ लेकर सेशन को प्रोराग कर दिया गया, यह अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। सही स्थिति जैसी आप को मालूम है वहां के चीफ मिनिस्टर की मेजारिटी नहीं रही और मेजारिटी दूसरी तरफ जब हो गई तो उस आन्दोलन की आड़ में उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह सब कुछ किया।

मेरा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पर यह चार्ज है कि उस दिन जो बयान गृह मंत्री जी ने दिया, वह बिलकुल बेकार बयान था, अधूरा बयान था। उसके बाद भी दो दिन हो चुके हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट अभी तक नहीं जगी है। विधान की धारा 356 और 357 दानों के तहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वह हर एक राज्य सरकार के मामले में संविधान के अनुसार चले, लेकिन यम सरकार वहां समय दे रही है। सादिक साहब को समय दे रही है कि वह वहां पर फिशिंग करें, सौदा खरीदें और जो एम० एल० ए० नहीं मानता उसको लालच देकर अपने कैम्प में ले आये ताकि उनकी कुर्सी बनी रहे।

मैं चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को वार्निंग दी जाय की अगर इन्होंने देश के

[श्री कंवर लाल गुप्त]

अन्दर प्रजातन्त्र को कायम रखना है तो इस किस्म के गलत हथकण्डे—जिसकी मेजोरिटी नहीं है उसको कुर्सी पर बैठाये रखना और जिसकी मेजोरिटी है उसकी अवहेलना करना—इस तरीके को बन्द करें।

SHRI INDER J. MALHOTRA (Jammu) : Mr. Deputy-Speaker Sir, you would recall that on Friday also, when we raised this matter, you were kind enough to remark that a regular motion will be taken up and this House will be given an opportunity to thrash out all the aspects which have now come up before the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I did not say "will be given the opportunity." I have only said, "Kindly submit a regular motion."

SHRI INDER J. MALHOTRA : that has alaready been submitted.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : We have already sent notices of Adjournment motion and Calling Attention. I am told that they have been rejected. You please permit some discussion, for God's sake. It is a very important matter.

SHRI INDER J. MALHOTRA : The situation in that State is getting from bad to worse. I am told that some of the hon. Members of the Assembly have already reached the capital-New Delhi-and they are here. Their number is between 32 and 34, and I am told by them that during that last two or three days they were harassed by the police and they were followed everywhere they went. (*Interruption*)

SOME HON. MEMBERS : Shame, shame.

SHRI INDER J. MALHOTRA : The political situation is deteriorating in that State. Therefore, I would very much urge upon the Government that they should not wait any longer, since the situation is getting from bad to worse and from worse to worst.

The Prime Minister and the Home Minister must act immediately and intervene in the matter.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh) : Parliament must necessarily take cognizance of this fact, because, according to the press statement, the Governor seems to have expressed the view that since different article is applicable to Kashmir, therefore, "I had no other alternative but to follow the advice of the Chief Minister to prorogue the Assembly." He has taken advantage of the fact, that Kashmir is governed by article 370. Because of that fact, Parliament can and should take immediate cognizance of this fact; and it is all the more proper for Parliament to immediately discuss this matter, so that the entire subversion of democracy could be saved, because the very thing that the Governor has taken up is this : that in other States they are guided by several articles of the Constitution, while Kashmir is being governed by article 370. (*Interruption*) The Governor has said that "I have no other alternative but to prorogue the Assembly," because Kashmir is governed under article 370 and they get some special privileges. Therefore, Parliament must take up this matter to clarify this.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर महोदय, इस में कोई शक नहीं है कि हमारे यहां काश्मीर में जो हो रहा है, वह बहुत चिन्ताजनक है। काश्मीर न सिर्फ हमारे देश के लिये बल्कि इन्टरनेशनल स्फीअर में भी इम्पोर्टेन्स गेन कर गया है, इसलिये वहां जो कुछ भी हो, वह कांस्टीचूशन के मुताबिक, डेमोक्रेटिक-वे में होना चाहिये। मैंने भी इसके बारे में पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि जैसे हमारे यहां हरियाणा में हाउस को अख्तियार है एडजार्न करने का, उसी तरह से हमें बताया गया है कि वहां ये अख्तियारात गवर्नर के पास हैं। ये अख्तियारात किसी के भी पास हों लेकिन यह मामला काफी चिन्ताजनक है कि वहां के 30-32 एम० एल० एज० यहां आएं और आकर कोई चीज कहें—

प्रोरोग करना या समन करना या लेजिस्लेचर में किसकी मेजोरिटी है यह सब फ्लोर आफ दी हाउस पर होना चाहिये, वहां डिटरमिन होना चाहिये। फिर भी जो चीज देश के सामने भाई है, इससे जाहिर होता है कि वहां के हालात अच्छे नहीं हैं, इससे डेमोक्रेसी का इमेज टार्निश होता है।

मैं आपकी मारफत गवर्नमेंट से अर्ज करना चाहता हूं—काश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है, डेमोक्रेटिक-वे में वहां के हालात को जल्द से जल्द ठीक किया जाय, जल्द से जल्द वहां हाऊस को बुलाया जाए ताकि मालूम हो सके कि किस की मेजोरिटी है और किसकी माइनोरिटी है और ठीक ढंग से वहां पर गवर्नमेंट चलाई जाय। वरना इस तरह से देश बदनाम होता है और दुश्मन भी उससे फायदा उठाता है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर का जो स्टेट है वह सिम्पल स्टेट नहीं है। काश्मीर हमारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बार्डर पर है, इससे वहां खतरा पैदा हो गया है, किसी समय भी हिन्दुस्तान पर अटैक हो सकता है। इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इस मामले में इन्टरवीन करे। यहां इस तरह से हाउस को प्रोरोग करना बिलकुल अवैधानिक है। मैं इस गवर्नमेंट से और लॉ-मिनिस्टर से मांग करता हूं कि फौरन 370 को एबोलिश करे और वहां के हालात को सुधारे। वहां के मामले में गवर्नमेंट को फौरन इन्टरवीन करना चाहिये।

All the Kashmir MLAs are sitting in the gallery now.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Notice of adjournment motions received by the Speaker on this subject were not accepted by him. But there is nothing to prevent members meeting the Speaker....

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : We have equal faith in you.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Even if I am to do that job, I will have to consider it carefully in the chamber. I cannot do here. Therefore, nothing prevents members from meeting the Speaker and convincing him to reconsider this matter.

SHRI SHEO NARAIN : We challenge the Government. Let them oppose the demand. The House is supreme.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : Even one member of the ruling Congress has asked for it. The demand is unanimous.

SHRI GAJRAJ SINGH RAO (Mahendragarh) : The prorogation itself cannot be discussed here. If there can be a discussion, it can be only under rule 193. It cannot be discussed otherwise against the rules.

MR. DEPUTY-SPEAKER : About the Kashmir issue, I have said what should be done. Let us close it.

I have received a letter from Shri Dhireswar Kalita. He says he wants to raise something under rule 377. I would request him to look at rule 377. The rule says that any member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing. So, I would request him to give his notice in writing to the Secretary. He should not raise it just now.

SHRI A. SREEDHARAN (Badagara): Sir, on a number of occasions you have allowed members to go out of the purview of the rule to raise points. You should discriminate between members.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): There should not be double standards. If I had raised it by way of point of order, you would have allowed it. Because I am following the proper procedure, you want to shut me out?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am very grateful to him for following the procedure. He has himself mentioned the rule. I have only stated that that rule envisages a certain line of action. I am simply asking him to observe that. Let him give it in writing.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप एक संसदीय समिति के गठन करने की स्वीकृति देंगे जो कि,

** ** ** **

यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

** ** ** **

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is he referring to what happened in the morning during the question hour ?

SHRI MADHU LIMAYE : He is not repeating what happened in the morning. He is asking a question.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आज सुबह यहां कई आरोप उन पर लगाए गए कि उनका तस्कर व्यापार से कैसे सम्बन्ध है, कुली मस्ताना से कैसे सम्बन्ध है तो मेरा इतना ही प्रश्न है कि * * *

जांच करने के लिए आप एक संसदीय समिति बनाएंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I cannot give any answer to that.

श्री मधु लिमये : फिर रास्ता क्या है ? इसका जवाब कौन देगा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are all well versed in the rules. You may find out how to raise it.

14.3 hrs.

GENERAL BUDGET 1970-71— GENERAL DISCUSSION—*contd.*

श्री शिव पूजन शास्त्री (विक्रमगंज) : माननीया प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण तथा कर प्रस्तावों में चार पहलुओं की तरफ इस माननीय सदन और देश का ध्यान आकर्षित किया है। वे चार पहलू हैं— (1) सरकारी नीति के प्रमुख तत्व, (2) देश की आर्थिक स्थिति, (3) कर दरों में परिवर्तन तथा (4) प्रगति के नये चरण। मैं इन चारों पहलुओं की तरफ इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारी नीति के प्रमुख तत्वों में तीन तत्वों को गिनाया गया है। पहला तत्व है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता। दूसरा, उत्पादन शक्ति का विकास और तीसरा है, समाज के कमजोर वर्गों की भलाई का उचित ध्यान।

सबसे पहले मैं समाज के कमजोर वर्गों की भलाई पर उचित ध्यान के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अपनी शास्त्रीय परीक्षा के निबन्ध पुस्तक पर भारत की कर शक्ति के बारे में भारत के इतिहास को टटोला, आर्थिक इतिहास को और खास करके पारिवारिक बजट और जेल में रहने वाले कैदियों को जो प्रति दिन भोजन मिलता है, उन दोनों की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकला कि भारत के जनसाधारण की हालत में रोज बरोज उनका भोजन भी वैसा नहीं है जैसा कि जेलों में कैदियों को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि भारत का जन-साधारण पराकाष्ठा से भी अधिक गरीब है। उसकी क्रय-शक्ति बहुत ही गिरी हुई है। अगर दूसरी तरह से हम सोचें और आज की ही बात ले तो आर्थिक समीक्षा में जो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय दिखलाई गई है उसमें बतलाया गया है कि आज भी 1969-70 में सिर्फ 390 रु. साल भर में एक आदमी की आय है यानी एक रोज में एक रुपए से कुछ अधिक। और आप भी भ्रमात्मक हैं क्योंकि पूरी जनसंख्या में पूरी आय का बराबर बटंवारा है लेकिन भारत की सम्पत्ति भारत की दौलत उचित ढंग से समाज में बाटी नहीं जाती है। आज भी वहां एक या सौ में पांच छः प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी प्रति दिन की आय अगर लाखों नहीं तो हजारों जरूर ही है। ऐसी हालत में यह एक रुपया औसत आय जो निकलती है वह भी करोड़ों

** Expunged as ordered by the Chair—*vide* col. 20.